



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: addl.com.admn@kvs.gov.in, Tel: 011- 26855532
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 17425

F: 11-Adm1072(BIHR)/7/2022-Admn.I | 2481 - 2502

दिनांक: 28.03.2025

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंब्यक्त कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय, 45 वीं वाहिनी, एस. एस. बी., बीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार, (संसदीय क्षेत्र - सुपौल) वर्ष 2019 में स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय 01.04.2025 से प्रारंभ करने के लिए संस्थीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2025-26 से निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय, 45 वीं वाहिनी, एस. एस. बी., बीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार	केन्द्रीय विद्यालय, 45 वीं वाहिनी, एस. एस. बी., बीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार - 854340

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोत)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

वितरण:

- निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.स.।
- निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.स.।
- वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं.।
- पी.एस.ओ, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, के.विसं.।
- निजी सचिव, आयुक्त, के.वि.स.।
- प्रमुख निजी सचिव, संयुक्त सचिव (पुलिस - II), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92।

9. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा./शै०) केविसं ।
10. उप सचिव (के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
11. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/ शैक्षिक/ कार्मिक), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ ।
12. संयुक्त आयुक्त(शैक्षिक) केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
13. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. उपायुक्त, के.वि.स. क्षे.का. पटना को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर के.वि. संचालित करें ।
15. महानिदेशालय, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी ब्लॉक-V, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 ।
16. कमांडेट, 45 वीं वाहिनी, एस. एस. बी., बीरपुर, जिला-सुपौल बिहार को सूचनार्थ ।
17. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.स., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
18. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
19. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III) को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
20. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु०), नई दिल्ली ।
21. अध्यक्ष/सचिव के.वि.स. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
22. गार्ड फाइल ।